पिलानेस पोस्ट के अनामत होन शुरुक के नगद गुम्हान (निमा डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसमेह गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक 'क्जीसगढ़/हुर्ग/09/2010-2012.''

हर्जिस्याह राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग संत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

शयपुर, दिगांक 28 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-292/7-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू-संबंध्य संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शवितयों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-292/सात-3/2011, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थांत् :—

संशोधन

उवत अधिसूचना की अनुसूची में,-

- अनुसूची के सरल क्रमांक 3 के कॉलम क्रमांक (4) के शीर्षक "नवीन जिला" से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द "बलौदाबाजार" के पश्चात् "-भाटापारा" जोड़ा जाये.
- 2. अनुसूची के साल क्रमांक ९ के कॉलम क्रमांब (4) के शीर्वक ''नवीन जिला' से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द ''बलरामपुर' के पश्चात् ''-रामानुबर्गज' जोड़ा जाये.

Raipur, the 28th March 2012

NOTIFICATION

No. F-6-292/7-3/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the departments' Notification No. F-6-292/Seven-2/2011, dated 27th December, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification,-

- In the entries relating to column number (4) of serial No. 3 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balodabazar" the word "Bhatapara" shall be added.
- 2. In the entries relating to column number (4) of serial No. 9 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balrampur" the word "Ramanujganj" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. निहासानी, उप-जिचन